बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 205824 पटना, दिनांक 20/10/14

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0-(जीर्णोद्धार)-143/2011

प्रेषक,

प्रमोद कुमार बिहारी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
गया, जहानाबाद, नालन्दा एवं अरवल ।

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2014-15 में मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना के कार्यान्वयन हेतु निधि के आवंटन के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-202889 दिनांक-24.09.14 एवं शुद्धि पत्र संख्या-205663 दिनांक-17.10.14

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 में मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजनान्तर्गत 01.04.2004 के पूर्व के इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों को अधूरे/अपूर्ण आवास को पूर्ण करने के लिए सहायक अनुदान के रूप में प्रति लाभुक ₹ 30,000 (तीस हजार रूपये) सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु कुल **₹ 2499.90 लाख (चौबीस करोड़ निन्यानवे लाख नब्बे हजार रूपये)** का आवंटन निम्न रूप से (कॉलम-4) किया जाता है ।

(रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जिला का नाम	मुख्य मंत्री जीर्णोद्धार योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने वाले परिवारों की सं0	आवंटित राशि
1	2	3	4
1.	गया	2220	666.00
2.	जहानाबाद	2969	890.70
3.	नालन्दा	949	284.70
4.	अरवल	2195	658.50
		कुल :-	**2499.90**

2) राशि का आवंटन विभागीय संख्या-202889 दिनांक-24.09.14 द्वारा स्वीकृत राशि के अंतर्गत की जाती है ।

3) आवंटित राशि मॉग संख्या-42 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2216-आवास-उप मुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण आवास-लघु शीर्ष-105-इंदिरा आवास योजना, उप शीर्ष-0105-मुख्य मंत्री शताब्दी इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना, विपत्र कोड-पी.2216031050105, राज्य योजना स्कीम कोड-RUR-5630, विषय शीर्ष-31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

4) आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी ।

5) ग्रामीण विकास विभाग के मांग संख्या-42 के अंतर्गत योजना मुख्य शीर्ष-2216 के लिए सभी उप विकास आयुक्त पूर्व से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं, अतएव स्वीकृत राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

6) आवंटित राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561वि.(2) दिनांक-17.04.98 एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार की जायेगी तथा निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 विपत्र वित्त विभागीय सुसंगत परिपत्र में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समर्पित की जायेगी ।

7) वित्त विभाग के पत्र संख्या-7355 वि.(टि.) दि0-05.10.07 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

8) संबंधित उप विकास आयुक्तों से अनुरोध है कि आवंटित राशि की अग्रिम निकासी कर विभागीय संकल्प संख्या-197148 दिनांक-21.08.14 एवं विभागीय पत्रांक-198808 दिनांक-01.09.14 में निहित मार्गदर्शनों के आलोक में राशि का व्यय कर कोषागार प्रमाणक एवं तिथि सहित व्यय विवरणी महालेखाकार, बिहार, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) को अविलम्ब उपलब्ध करावें ।

9) इसकी सूचना महालेखाकार (ले.हक.), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

(प्रमोद कुमार बिहारी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 205824 पटना, दिनांक 20/10/14

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0हक0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 205824 पटना, दिनांक 20/10/14

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त, मगध (गया), पटना/जिला पदाधिकारी, गया, जहानाबाद, अरवल एवं नालन्दा/जिला कोषागार पदाधिकारी, गया, जहानाबाद, अरवल एवं नालन्दा/श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु)/ प्रभारी सांख्यिकी सहायक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) एवं प्रशाखा-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । इसकी एक प्रति प्रशाखा-5 की रक्षी पंजी में संधारित की जायेगी ।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव